

31.3.24 पत्रावली चेरा दुली। कचिवाता वादी
न्यायालय समक्ष में नियमित आवार्जे लगवाली
गयी फिर भी न तो अधिवक्ता वादी और
न ही वादीगण उपस्थित हुये।

अतः पत्रावली अद्वर्गे कादेश ०९ निष्पादित
हो गयी जोरिज की जाती है।

पत्रावली केवल धुआ हो नम्बर से कम
नी जाकर दायिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखित जाकर न्यायाधीश
पुष्प